Seventeenth Loksabha

an>

15.34 hrs.

Title: Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर – 18.

संकल्प पर चर्चा चल रही थी - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय ।

श्री गोपाल शेट्टी जी, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए ।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जो प्राइवेट मेंबर बिल है - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं के कामकाज और उनके जीवन में बदलाव आए, यह इस प्रकार का प्रस्ताव है । मैं इस पर अपने विचार रखने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प बोलने का मौका दिया है । सुरेश जी, पहले नंबर पर बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे उनसे पहले बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय जी, मैं बड़ी ही खुशी और गर्व की अनुभूति महसूस करता हूं । जब मैं पहली बार सन् 1922 में मुंबई शहर में पार्षद बना था ।

मैं भी झुग्गी बस्तियों में से काम करते-करते यहां तक पहुंचा हूँ । वे झुग्गी-बस्तियों की बहनें भी मुम्बई महानगर पालिका के साथ जुड़ीं । आपके साथ बहुत सारे लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि उन्होंने उन दिनों 100 रुपये के मानदेय से काम प्रारम्भ किया था । वे 100 रुपये बढ़कर 400 रुपये हुए, फिर 800 रुपये हुए और फिर बढ़ते-बढ़ते मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आज उनको बहुत अच्छा मानदेय मिलता है, लेकिन एक सम्मानजनक मानदेय मिलता है । यह मानव जीवन की अपेक्षा होती है कि जितना ज्यादा मानदेय मिले, उतना अच्छा है । उसके लिए वे स्वयं भी मांग करते रहे हैं और जनप्रतिनिधि तथा सरकार भी समय-समय पर उसके ऊपर विचार करती रहती है । मैं मानता हूँ कि इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है । मैं यह कहूंगा कि सरकार के माध्यम से अगर किसी स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है तो करोड़ों रुपये की एडवरटाइजिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये आंगनवाड़ी सेविकाएं सरकार की सभी योजनाओं को सामान्य परिवार की बहनों तक पहुंचाने का काम करती है ।

खासकर, अगर हम सरकार की अनेक योजनाओं के साथ-साथ एक योजना की बात करते हैं तो इस योजना के लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाएं सरकार की सारी

योजनाओं को प्रत्येक घर की महिलाओं के दिल और दिमाग तक उतारने का काम करती हैं ।

हम सब जनप्रतिनिधि हैं । हम कोरोना काल को नहीं भूल पाएंगे । कोरोना काल में कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आता था । झुग्गी-झोपड़ बस्तियों में बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपना जीवन जीते हैं, जहां पर हेल्थ सेन्टर नहीं होता है और लोगों को वहां पर पैसे नहीं होने की वजह से दवाखाने तक जाने में बहुत दिक्कत होती है । ऐसे समय पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया था । कोरोना काल में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का और हमारे सांस्कृतिक प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान है । लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था । थाली बजाने से लेकर दिया जलाने की बात पर लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं मानता हूँ कि थाली बजाने और दिया जलाने की संस्कृति की वजह से ही हमारे देश में कोरोना लोगों के बहुत नजदीक नहीं पहुंच सका और हमने दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा । कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारम्भ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया । बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन करना, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना, उनको वैक्सीनेशन सेन्टर तक पहुंचाना और फिर वैक्सीनेशन के बाद उनको कोई पेरशानी है या नहीं, इन सारी बातों का ख्याल करते हुए, जो पीड़ित लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार के साथ में जोड़ने का काम इन आंगनवाड़ी बहनों ने किया था ।

मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 'आयुष्मान भारत योजना' लेकर आए । लोगों को बड़े पैमाने पर इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन वर्ष 2011 की सेंसस में जिनका नाम दर्ज है, उनको ही इसका लाभ मिलता है । वर्ष 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है तो हम सभी माननीय सांसद इस बात की मांग करते हैं कि एक बार फिर से सेंसस हो, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाएं । मेरी अपनी मांग है कि सेंसस में जैसे येलो राशन कार्ड हो या जाति के माध्यम से जिस तरह की बातें होती रहती हैं, चूँकि हमें एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह गरीबी है । इसलिए गरीब लोग जो 300 फीट के घर में रहते हैं, उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए । इस मांग के बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूँ । जब तक मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिलता रहेगा और जब तक इसमें बदलाव नहीं आता है, तब तक मैं इसके बारे में बोलता रहूंगा । चूँकि यह मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं जिस भी विषय को हाथ में लेता हूँ, उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ । किसी भी विषय को बोलकर छोड़ दिया, दूसरे दिन दूसरे विषय पर हाथ डाल दिया तो इस तरह का मेरा काम करने का तरीका नहीं है । मैं चाहता हूँ कि कम से कम इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को परमानेंट हेल्थकार्ड दिया जाए । उनका नाम 2011 की सेंसस में नहीं है तो उनको इसमें जोड़ देना चाहिए ।

'आयुष्मान भारत योजना' को सभी राज्यों की सरकरों ने अमल में लाया है । राज्य सरकार भी इस पर बड़े पैमाने पर खर्चा करती है, केन्द्र सरकार के माध्यम से भी होता है । इसलिए इसमें और

अधिक लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है । इसमें ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जगह है ।

इन सारी बहनों को इसका लाभ मिले, क्योंकि वे दूसरे की चिन्ता करती हैं, भगवान करें कि कभी उनके जीवन में इस प्रकार की आपत्ति न आए, वे बीमार न पड़ें, लेकिन अगर वे बीमार पड़ती हैं तो पार्लियामेंट के माध्यम से हमें उनके लिए चिन्ता करनी चाहिए । इसलिए इसका लाभ मिले, उनको प्रायरिटी में इसके साथ जोड़ा जाए, यह भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका मैने यहां पर उल्लेख किया है । मैं इसके साथ एक अन्य बात जोड़ना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार से मानदेय के आधार पर काम करते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है हमको एक जॉब मिले और उसमें भी अगर सरकार की नौकरी मिलती है तो उनको एक लाइफटाइम एचीवमेंट मिल गई है, इस प्रकार की मानसिकता एक सामान्य परिवार के लोगों की होती है । मैं चाहूंगा कि चाहे कारपोरेशन में हो, राज्य सरकार में हो या केन्द्र सरकार में हो, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के रूप में काम करती हैं, इनमें से अच्छी बहनों का चयन करके क्यों न हम उन्हें नर्स बनाएं और उन्हें नर्स के काम से जोड़ा जाए । उनको जो एक साल या दो साल की ट्रेनिंग देनी हो, वह भी सरकार के माध्यम से दे सकते हैं । उनका अपना पहले का अनुभव होता है, उसका भी लाभ मिलेगा । साथ ही, आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग सामने आएंगे, क्योंकि इनमें से उनका डायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है, उनकी इस प्रकार की एक मानसिकता तैयार होगी और इससे सरकार को भी बड़ा लाभ मिलेगा । हम डायरेक्ट इन लोगों में से चयन कर सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं और हमारे सामान्य परिवारों के जो बच्चे पढ़कर बाहर निकलते हैं, अगर उनकी प्रायरिटी में हेल्थ सेक्टर में काम करना होगा तो ऐसे लोगों में नर्स बनने की बहुत उत्सुकता होती है ।

प्रधानमंत्री जी की स्किल डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसा किया है और बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसको प्रारम्भ किया होगा, जिसमें हमने नर्सेज का कोर्स प्रारम्भ किया है । इसमें बड़े पैमाने पर बच्चियां कोर्स करने आती हैं । मैं चाहूंगा कि कारपोरेशन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में जहां भी जॉब्स क्रिएट होती हैं, उनमें इनका चयन हो, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए ।

देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आठ वर्षों में लाने का काम किया है, चाहे वह 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना हो । जब भी दुनिया के इतिहास में जब कभी भी इसके बारे में इतिहास लिखा जाएगा, तब यह लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति सरकार के किसी भी पैसा का उपयोग न करते हुए, सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से, अगर वह लोगों से अपील करते हैं, तो कोई कायदा न बनते हुए भी लोग उसका पालन करते हैं । सभापति जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोग पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में बैठकर कायदा बनाते हैं । उस कायदे को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं, इस पर कभी डिबेट हो सकती है,

लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक अपील पर देश भर में बच्चियों का जन्म होना बढ़ गया, बच्चियों को पालने-पोसने से लेकर, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, इसका प्रयास हर मां-बाप करने लगे हैं । एक जमाना था जब हमारी भारतीय संस्कृति में अगर घर में बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी आई है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन बीच के दो-तीन दशक हमने इस प्रकार के पाए, जिनमें बेटियों के साथ किस प्रकार से पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद जुल्म होता था, यह हम सब लोगों ने देखा है । देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अपील करने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है । इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, देश विकास की ओर जा रहा है । हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनने की बात कर रहे हैं । विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो घर में पति-पत्नी, दोनों काम करते हैं । अगर आप अमेरिका की बात करें, वहां से जो लोग आते हैं, वे बताते हैं कि उनके घरों में जो बच्चे होते हैं, वे भी अपनी पढ़ाई और पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं । हमारा एक ऐसा देश है कि अगर घर में मैक्सिमम दो लोग काम करते हैं तो आठ लोगों का परिवार चलता है । ऐसा हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ है । आने वाले दिनों में अगर देश को तेजी से आगे जाना हो, अभी हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनने की बात करते हैं, बहुत जल्दी ही जम्प करके और भी आगे जाएंगे, ऐसे समय पर पति-पत्नी, दोनों को काम करना पड़ेगा । इन दिनों बड़े पैमाने पर बच्चियां और महिलाएं काम करने लगी हैं, लेकिन उनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती जा रही है । उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं और बहनों को अधिक लाभ किस तरह से मिले । इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, फिर एक बार इस बात को मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

जो भी बहनें सेविका बनकर या आंगनवाड़ी सेविका बनकर काम में लगी थीं, उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, उनकी इस प्रकार की सोच नहीं थी । उनकी सोच यही थी कि हम समाज के लिए अपना कुछ योगदान दें । हमारा जो सिस्टम है, उसमें कॉर्पोरेशन हो या राज्य सरकार को हम मदद करें, इस प्रकार की सोच से वे आई थीं, जबकि यह विषय पूरे देश में इतना बड़ा हो गया तो उनकी छोटी-मोटी कुछ अपेक्षाएं जागी हैं । उन अपेक्षाओं पर हम सब लोगों को मिलकर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए । आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत माता की जय ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि इस संकल्प पर पहले ही पांच घण्टे का समय लिया जा चुका है । इसलिए इस पर विचार करने के लिए आवंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है । इस संकल्प पर बोलने के लिए अभी चार माननीय सदस्य इच्छुक हैं । यदि सभा सहमत हो और माननीय मंत्री जी का रिप्लाई भी होगा तो इसका एक घण्टे समय और बढ़ा देते हैं ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, क्या आज ही रिप्लाई कराएंगे?

माननीय सभापति : देखेंगे, जैसा सदन चाहेगा ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Member, Shri Ritesh Pandey moved a Resolution on Welfare Measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers. Today, I am going to speak in my mother tongue, Malayalam.

माननीय सभापति : क्या आपने सूचित तो कर दिया था?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, Sir. On every occasion, almost all the regional languages are spoken in this House. But Malayalam is spoken very rarely in this House. That is why, today, I am going to speak in Malayalam.

*Sir,

This resolution is concerning the welfare of Aganwadi workers and helpers. Hon'ble Member from BSP, Shri Hritesh Pandey had introduced this resolution. During the last few hrs. we were discussing it in this august House. The discussions are moving towards it's conclusion. The Hon'ble Minister has arrived in the House to make his reply. This was informed to us from the Chair. I am happy that such a discussion about the welfare of the Aganwadi workers and helpers is taking place in this House. Because there are lakhs of Aganwadi workers in this country and they have many burning issues, which they want to bring to the notice of the Central Government. This discussion, has brought to limelight many such burning issues. All the Members in this House, cutting across the political differences, have supported this resolution.

I agree with all the issues raised by former Members. When the Hon. Minister will reply to this resolution, it should not be a formal reply. Because we should remember that lakhs of Aganwadi workers and helpers are looking towards the Government, with great expectation , to see what steps you are going to take.

Therefore, I request that the Minister's reply should not be a mere formality. Because there are burning issues, and long pending demands, the Government must accept these demands and act accordingly.

Chairman Sir, the Aganwadi workers have been demanding for many years that their salaries and wages should be upgraded from time to time. For many years now they have carried out dharnas in front of the State Secretariats and Raj Bhawans raising their demands. Even the Parliament Street and Jantar Mantar has witnessed many such dharnas.

Lakhs of workers and helpers had participated in such dharnas. Some or the other Aganwadi workers Organisation carries out a dharna during every Parliamentary Session. Therefore, I would like to tell this august House that the rights of the aganwadi workers and their demand for income to match the cost of living that exists today, should be taken to consideration. Salaries and other incentives, should be given. This is the concern of this House which the Government must accept. I urge the Central Government and the Social Welfare Ministry to take appropriate steps.

Sir, what are the services that an anganwadi worker performs? At 9 'o' clock morning, the parents hand over their children to the care and protection of the Aganwadi workers. The parents only come back to the aganwadi to call back their children at four or five in the evening. So from 9 a.m. to four to five evening, all the feeding, sleeping, playing, singing teaching of alphabets all these activities are carried on by the poor aganwadi workers and helpers. So, the life of these children are in the safe hands of these selfless aganwadi workers.

But what is the wage they get? They do not have any approved regular pay scale. Even today, they get, what is called an honorarium. Sir, how can one live in this civilized society, with an honorarium. How can any aganwadi worker, maintain his house hold expenses, solely on an amount of six thousand, eight thousand or ten thousand a month?

So, what is their long pending demand? It is that, Aganwadi workers and helpers should be considered as Government employees. They should get a salary in parity with what a Central Government or State Government employee gets.

Another Demand. Do they have pension. The answer is "No.". Do they have medical facilities? "No". Are they covered under ESI or such Schemes. "No". Do they have the benefit of provident funds when they retire. Again the answer is a big "No".

No EPF, no ESI, no pension. So, these are burning issues which the Government must take into consideration. We know the services they have

performed during times of the Covid. This was pointed out by Mr. Shetty, who spoke before me. So these Anganwadi workers and helpers are like guardian angels for our children. We call our nurses as angels. Similarly, our anganwadi workers and helpers are also guardian angels.

Therefore, they should get a respectable salary to meet the demands of the inflation that exists today. Pension, medical facilities, these are all long pending legitimate demands.

Similarly, there is no proper system that is followed for the recruitment of the anganwadi workers. We need a mechanism, and a system for the selection process.

There is a lot of corruption going on, in the election procedure of the anganwadi workers. Lot of vested interests are at work now. A proper rule procedure, for selection should be followed.

The Centre should not leave the responsibility of maintaining anganwadi to the State Government. The Central Government is now washing its hands off. That should not happen.

Integrated Child Development is an issue, that is the responsibility of the Central Government. It was a concept that we ushered in by our former Prime Minister, Smt. Indira Gandhi. We can make it a success in this country. It is not enough, just to disburse some funds to the State Governments.

There should be a proper round the year, monitoring by the Central Government on the functioning of anganwadies. The Central Government should evolve a system to maintain at least basic amenities of anganvadies.

In Kerala, we are quite happy in comparison to the rest of the country. Kerala has the best anganvadies that are functioning in this country. 60% of anganwadies in Kerala have their own lands and buildings. There are smart anganwadies in Kerala, which get 15 lakhs as development fund. M.P. fund, MLA fund, State Government fund, Gram Panchayat funds are all used to develop the smart anganwadies.

Class rooms, furniture, and utensils for cooking good hygienic food all these are available in many anganwadies. in Kerala. Modern kitchen and surrounding walls are required. Some sixty percentage anganvadese in Kerala have these facilities. May be Kerala, can be a model for the functioning of anganwadies in this country.

Let me conclude, that the Central Government should take a proactive role in the maintenance of anganwadies.

Similarly, honorarium is an outdated concept. They have to be considered as Central Government or State Government employees and get salaries and perks in parity with other Government employees.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you hon. Chairperson Sir, for kindly permitting me to take part in this very important discussion concerning a major area of our public welfare service. The tragedy of our social fabric and the political attitude is that the major and sensitive fields of our public service are sometimes ignored. They are not taken into consideration. Those who work hard for the country, for the society, toiling day and night, they are being given meagre wages and are completely deprived of other kinds of facilities. They are rejected. This is related to our attitude. We have to change our attitudes when we discuss about the Anganwadi workers. The Anganwadi workers are really those people who nourish the country and also work hard for preserving the posterity of the country.

Sir, I am reminded of a famous couplet:

"हम और तुम खेल रहे थे, वह आंगन की मिट्टी है ।"

इसलिए आंगन में खेलने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके बीच में हमसा-ए-रवा-दारी और इक्कालिटी पैदा करने के लिए यह एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेन्टर है । Such kind of seriousness has not been paid to these Anganwadi workers.

15.59 hrs. (Shrimati Rama Devi *in the Chair*.)

***m06 DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI :** Due to time constraint, I would like to list a few suggestions. As already mentioned by the hon. speakers who spoke before me, the wages given to the Anganwadi workers are very meagre. So, the wages have to be enhanced. Their salaries have to be increased and a better payment has to be ensured to the Anganwadi workers. They need pension. At present, they do not have pension system. They have to be brought under the ESI scheme. The first and foremost thing, as already mentioned by the hon. speakers who spoke before me, is that they have to be recognised as the Government servants.

Their very important and sensitive service to the society has to be considered as the Government service.

16.00hrs.

Then, there are other issues related to this. Actually, this is related to many other areas of our public welfare schemes. For example, they not only give training and education to our posterity, to our children, to our students till six years, but also, they look after their nutrition, their health and their pre-education needs. Important matters such as these have to be taken into consideration.

Recent reports have shown gaps in the utilization of services. Such reports have to be taken into consideration. They have to be given improved training. Now there are training programmes as already mentioned by the previous speaker, Mr. Kodikunnil Suresh. We have a better system in Kerala. Even when I was an MLA, I had brought a *Madhurga* Anganwadi, model Anganwadi in my constituency. In Kerala, we have a better service. But even in Kerala, their condition of life is very, very poor. That has to be enhanced. So, it has to be made as a part of the national agenda.

Now, what the Centre is doing is that it has given the charge completely to the State Governments. But I cannot understand why such a very major area is not given enough consideration that it deserves by the Central Government. I think the hon. Minister will be taking into consideration these points. They need improved training. Many of the Anganwadi Centres are in a very poor condition. Drainage, water and sanitary conditions are very bad. Their condition has to be improved not only to help the children but to give better training to them. Many of them are lady teachers who have to look after their families also. So, very important issues like this have to be taken into consideration.

Finally, I am again reinstating and emphasising this point that they are the workers who are training our posterity. As the poet has said, हम और तुम खेल ही रहे थे, यह उस आंगन की मिट्टी है । जिस आंगन में कई मज़हब के बच्चे, मुख़्तलिफ़ तबकों और मज़हबों के हमारे बच्चे जो सीखते हैं, उनके बीच नेशनल इंटिग्रेशन, सेक्युलर वैल्युज पैदा करने के लिए यह एक ट्रेनिंग सेंटर है ।

'देख लो छूकर अपने बदन को, मेरे बदन की मिट्टी है ।'

इस मिट्टी में, इस आंगन में एकता पैदा करने के लिए, इंटिग्रेशन पैदा करने के लिए यह एक कल्चरल सेंटर भी है और एजुकेशनल सेंटर भी है ।

So, I would like to request the hon. Minister to take into consideration these points while giving her reply. When the reply comes from the hon. Minister, we expect a better future for the lakhs and lakhs of Anganwadi teachers working throughout the country.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Chairperson for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Resolution moved by Shri Ritesh Pandey regarding the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Unfortunately, the Mover of the Resolution is not present. I think that the Mover of the Resolution should be present so as to hear the views of the Members of the House so that a Resolution can be adopted by this House.

Anyway, I would like to fully support, in letter and spirit, the Resolution moved by learned friend, Shri Ritesh Pandey on 20th March, 2020. Madam Chairperson, the Anganwadi workers and the Anganwadi helpers are the two classes of people who come under the Integrated Child Development Scheme being administered by the hon. Minister, Madam Smriti Irani Ji. So, we hope that a lenient view be taken as far as these two classes of people are concerned.

The Anganwadi workers and Anganwadi helpers are not being considered as teachers because there is no imparting of education in the Anganwadi establishments. It is not education that is being given. It is only nursing the children which is being done, and they are not educating the children. They are being taken care of. Care and caution of the children, their nourishment, their development – mental as well as physical – everything is being done by these Anganwadi workers with the help of the helpers. So, this is what is meant by Anganwadi system. The integrated development of the child is the ultimate motto or the essence of the Anganwadi system which is coming under the Integrated Child Development Scheme.

Madam, I would like to state two or three points over and above the main issues to be considered as per the Resolution.

The first one is about the qualifications and the recruitment process of these anganwadi helpers and workers. As per the things which are existing now, there are no

stringent or strict guidelines or norms for the recruitment of these anganwadi teachers and anganwadi workers. No qualification is prescribed. This is a very bad thing because the new generation of children, at the age two, are being brought to the anganwadis. Since the nursing care has to be provided to these children, and now since the scope of anganwadis has increased because the pregnant women are being trained or are being well taken care of in these Anganwadis, definitely the anganwadi workers as well as anganwadi helpers should be qualified. So, my first suggestion is that qualification for the anganwadi workers and helpers has to be well prescribed by the Government of India. It is well known to me that now-a-days, their appointment is totally a political appointment according to the whims and fancies of the concerned panchayat member and the panchayat committee. They are being appointed according to the whims and fancies of whichever party is ruling that panchayat. According to their political will or political interest, they are being taken. The only qualification is that if she belonged to my party, she is well qualified. That has to be done away with. There should be a strict qualification prescribed. They should be better qualified. Their recruitment process should also be there. For that, guidelines have to be prescribed by the Government of India at the Centre because it is being financed by the Government of India also.

My second point is about their salaries. As far as their salaries are concerned, in the State of Kerala, per month salary of an anganwadi worker or teacher is Rs. 12,000; and for a helper, it is just Rs. 8,000. It is nothing because even a MGNREGS worker is getting more than this amount. A woman anganwadi teacher is coming early in the morning by 9 o'clock in the anganwadi and she has to stay there till 4 p.m. or 5 p.m. while they are getting - it is not a salary or an honorarium - a meagre allowance of Rs. 12,000 and Rs. 8,000. That has to be changed. That is why, the Private Member's Resolution specifically states that they should be regularised. Madam, my Private Member Bill is pending in Lok Sabha on the same issue in which I have demanded that anganwadi teachers and workers should be regularised as the last grade servants of the Central Government. That is the first demand that I would like to make.

Regarding their salaries, I would also like to mention that it is shared by both the Central Government and the State Government. Their salary is not same in other States. It is different in Karnataka; it is different in Tamil Nadu; and it is different in a Northern India State like UP. I think, Kerala is providing them better allowances. I do not know fully about it, but they are being paid less than that in other States. My submission is that all these anganwadi teachers and workers should be regularised as the last grade servants of the Central

Government or the State Government, as the case may be, so that they may be regularised. That is the point that I would like to make.

Regarding the welfare aspect, I would say that it is very easy to take care of it. Now-a-days, ESI's medical benefit is one of the best medical benefits which are available in our country. Today morning, I have made a submission that the ceiling limit of ESI has to be enhanced because now, it is Rs. 21,000. These poor women will come within the limit Rs. 21,000. My submission is that the ESI benefit should be extended to all these anganwadi workers and anganwadi teachers and helpers.

Madam, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that as far as government teachers or government staff or other government staff are concerned, they are getting all the benefits while those who are working in the factories or in the unorganised sector, they are getting the PF, the ESI and the gratuity, but these poor people, who are employed in Anganwadis, are not getting any benefit as that of the government servants or those working in the unorganised sectors.

They are not considered as unorganized workers and they also are not regularized workers. It is a pitiable situation as far as these poor women are concerned. So, the ESI medical benefits, gratuity and PF have to be given to all these workers. … (*Interruptions*)

Madam, there is no time restriction as far as the Private Members Resolution is concerned. … (*Interruptions*) Kindly give me two minutes. … (*Interruptions*) The last point that I would like to make is regarding infrastructure. Kindly look at the infrastructure provided to the Anganwadis. It is a pitiable condition as regards almost all the Anganwadis. I have spent lakhs of rupees in my Constituency to make them high-tech Anganwadis. Most of the Anganwadis are now fully air-conditioned. There was a World Bank project for renovation and establishment of modern Anganwadi buildings, that project is completed. So, I urge upon the Union of India to find out some schemes or funds so as to have high-tech Anganwadis in the country considering the climate change.

With these words, I once again fully support the Resolution moved by Shri Ritesh Pandey regarding the Angandwadi workers and Anganwadi helpers. Thank you, Madam.

*M08 **SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):** Thank you, Madam Chairperson. Today, you have given me the opportunity to speak on an important aspect pertaining to the Government – the welfare of anganwadi workers. Anganwadi Scheme was started by the Indian Government in 1975. A child's mental and physical development is maximum till he attains six years of age. Nutritional food, health care and education to toddlers was needed, that is why Anganwadi Scheme was started. Integrated Child Development Service was needed and that is why it was initiated.

Today, approximately 4 lakh 37 thousand Anganwadi Centres are there. Anganwadi workers and helpers work in these Centres. They also do primary health check-up. They provide supplementary nutrition to children. Children are educated. Even our women are told about family planning measures.

Madam Chairperson, the Anganwadi workers play a pivotal role in the New Education Policy. Basic education is being imparted by them. The Anganwadi workers are facing a lot of hardships. They are getting a pittance as honorarium. Our Anganwadi sisters go to the field to implement all kinds of inoculation and vaccination programmes for kids. During corona times, the Anganwadi and Asha workers did a commendable job. We are proud of them. However, it is rather unfortunate that these Anganwadi workers get no help from the community or others.

Madam, in several States, these workers get less honorarium than minimum wages given to workers. If a labourer does soil work, he is still getting more money in MNREGA than an Anganwadi worker. So, I urge upon the Government to give them regular jobs. They should be given the facility of provident fund.

If an Anganwadi worker dies accidentally, someone from the immediate family should be given a job as compensation on compassionate ground. The front line worker are the eyes and ears of the Government. In a sensitive State like Punjab, anti-Indian activities are done by anti-nationals. Our sisters in Anganwadi are the eyes and ears of Government. So, proper care should be taken for Anganwadi workers. They should not be left in the lurch.

Thank you. Jai Hind.

श्री निहाल चन्द चौहान (**गंगानगर**): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदया, मुझे आंगनवाड़ी के इस बिल पर बोलने का सौभाग्य मिला है । यह एक ऐसा बिल है, जो गाँव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित कर रहा है । मैं माननीया मंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा । इस देश के करीबन 27.41 लाख कर्मचारियों को सीधा-सीधा लाभ अगर किसी ने दिया है तो वह केन्द्र की सरकार ने दिया है ।

महोदया, भारत में आंगनवाड़ी योजना की शुरूआत वर्ष 1975 में की गई थी तब यह सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था । धीरे-धीरे यह कार्यक्रम पीछे होता चला गया । देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद इस कार्यक्रम को और गति दी और मैं समझता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, उनकी माताओं के स्वास्थ्य, उनके टीकाकरण और साफ-सफाई, स्कूल की पूर्व बुनियादी शिक्षा देने का काम एक आंगनवाड़ी केन्द्र कर रहा है । वर्तमान में देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 13 लाख 87 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं । यानी देश में स्वीकृत कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 12,265 केन्द्र अभी भी संचालित नहीं हैं । इस बिल में आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अनुसार इस देश के अंदर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिका को प्राथमिकता दी गई है ।

महोदया, वर्ष 2020-21 के कोरोना काल के अंदर जब कोरोना ने देश और दुनिया में कोहराम मचाया था तब आंगनवाड़ी केन्द्रों से जुड़े बच्चों, महिलाओं पर सीधा प्रभाव पोषण के रूप में पड़ा था । उस समय नए रास्ते निकालने की जरूरत पड़ी, जिससे अधिकांश बच्चों को पोषण मिल सके । इस तरह की सुविधाएं केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की गईं । राज्यों के मापदण्ड के अनुसार करीबन चार हजार करोड़ रुपये की जो राशि जारी की गई थी, उनका राज्यों ने अभी तक उपयोग नहीं किया है । मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2018-19 **में** 565 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में करीबन 1,596 करोड़ रुपये की राशि, जो केन्द्र सरकार ने राज्यों को दी थी, उसका राज्यों ने उपयोग नहीं किया है । बहुत सारी आंगनवाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित हैं, लेकिन देश में कई ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनकी वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है । या तो वहाँ भवन नहीं हैं, भवन है तो वह किराये पर चल रहा है । केन्द्र सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है ।

महोदया, जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिल्डिंग नहीं है, काफी ऐसे केन्द्र हैं, जो किराये के भवन में चल रहे हैं । ऐसे केन्द्र स्कूल में भी चल रहे हैं । प्राथमिक शिक्षा देना और होम विजिट करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का प्रमुख काम है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ता और सहायिका को जो मानदेय दिया जाता है, मेरे से पहले कई माननीय सांसदों ने इस बात को रखा होगा कि कार्यकर्ता को 8000 रुपये और सहायिका को 4800 रुपये मानदेय दिया जाता है । इस मानदेय को वेतन में चेंज किया जाए और इस

मानदेय को बढ़ाया भी जाए । बच्चों को घर से लाना, घर पर छोड़ना और कार्यकर्ता का होम विजिट करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 8000 और सहायिका को 4800 रुपये दिये जाते हैं । यह जो मानदेय है, यह बहुत कम है । इस मानदेय को बढ़ाना चाहिए । इसे मानदेय के रूप में नहीं, बल्कि वेतन के रूप में देना चाहिए । मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात करूं, तो करीब 1974 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 790 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन में चल रहे हैं और बाकी सब स्कूलों में चल रहे हैं । वहां पर शौचालय है या नहीं, बिजली है या नहीं, बच्चों के लिए साफ-सुथरा पीने का पानी है या नहीं, ये सब देखने की बात है । आंगनवाड़ी केन्द्र अच्छे से संचालित हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है । मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता और सहायिका है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है । गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहां पर कोई भी नहीं जाता है, वहां डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वहां पर यदि कोई जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका ही जाती है । करीब 400 की आबादी पर एक सहायिका है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर 800 की आबादी है, 1000 की आबादी है या दो-दो हजार की आबादी है लेकिन 400 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता और सहायिका देकर उस क्षेत्र के विकास के योगदान में आंगनवाड़ी केन्द्र एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है और उनको बढ़ावा देना चाहिए ।

मैं आप सब के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए ध्यान देना चाहूंगा कि बिल में वह इतना सहयोग कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी जवाब में भी यह बात कहेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

कुंवर दानिश अली (**अमरोहा**): सभापति महोदया, आपने मुझे एक प्राइवेट मैम्बर बिल Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद । हमारे देश में लगभग 13 लाख 91 हजार 412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने पिछली 9 दिसंबर को एक सवाल के जवाब में बताया है । उसमें करीब 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेंटर्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि करीब 3 लाख 60 हजार आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर टॉयलेट, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है । उन्होंने एक रीजन भी दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट बनाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2017-18 में केवल 12 हजार रुपये का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था । अभी उसको बढ़ा कर लगभग 36 हजार रुपये कर दिये गये हैं । अब उम्मीद की जाती है कि आगे जो टॉयलेट्स बनेंगे, वहां अच्छे तरीके से साफ-सफाई का इंतजाम हो सकता है ।

सभापति महोदया, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स गाँव-गाँव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है, मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है । जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, जब कोरोना के दौरान आपदा आई, तब इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश की ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव-देहात में स्वास्थ्य

की व्यवस्थाएं हैं, वह कितनी चरमराई हुई हैं । गांव-देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम आशा वर्कर्स के नाम से जानते हैं ।

आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंगनवाड़ी सेन्टर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात के रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल, स्कूल और उनके पालन-पोषण के लिए गाइड हैं । हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनके हेल्पर्स उन लोगों के लिए सेकेंड मदर्स, पैरेंट्स के रूप में काम करते हैं । मुझसे पहले कई माननीय सांसदों ने जो यहां बोला है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं । अभी प्रेमचन्द्रन जी कह रहे थे कि केरल में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 12,000 रुपये मानदेय दिया जाता है । उन्होंने एक सुझाव भी रखा । देश में आज इतना अन-इम्प्लॉयमेंट है, खास तौर से पढ़े-लिखे लोगों में कि अब भारत सरकार एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए एक मिनिमम क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिए ।

मैं अमरोहा लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । हम उत्तर प्रदेश से आते हैं । माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोक सभा में इलेक्ट हुई हैं ।... (व्यवधान) वे अमेठी से हैं ।... (व्यवधान) अमेठी भी उत्तर प्रदेश में ही है । मंत्री जी ने कहा कि कंस्टीट्युएन्सी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया । ... (व्यवधान) अभी प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि केरल में 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है । यह देखा नहीं जा सकता । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी विमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यू.पी. से आती हैं । उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है । आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है, केन्द्र सरकार 4,500 रुपये देती है । उत्तर प्रदेश के अन्दर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है । उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000 रुपये और केरल जैसे राज्य में 12,000 रुपये मिलते हैं, यह तो अन्याय है । मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और केन्द्र सरकार के जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जैसी सारी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जानी चाहिए ।

मैडम, इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगी तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगी ।

धन्यवाद ।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک پرائیویٹ ممبر بِل Welfare measure for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ملک میں تقریباً 13 لاکھ 91 ہزار 412 آنگنواڑی سینٹرس ہیں، جس کے بارے میں محترم وزیر نے پچھلے 9 دسمبر کو ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے۔ اس میں تقریباً 25 فیصد آنگنواڑی سینٹس پرائیویٹ بلڈنگس میں چل رہے ہیں۔ مانننے منتری جی نے خود مانا ہے کہ قریب 3 لاکھ 60 ہزار آنگنواڑی

سینٹرس میں پروپر ٹوائیلیٹ، سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ریزن بھی دیا ہے آنگنواڑی سینٹرس میں ٹوائیلیٹ بنانے کے لئے جناب نریندر مودی جی کی سرکار نے سال 18-2017 میں صرف 12 ہزار روپئے کا پراودھان کیا تھا، جو کہ ناکافی تھا۔ ابھی اس کو بڑھا کر لگ بھگ 36 ہزار روپئے کر دئے گئے ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ آگے جو ٹوائیلیٹس بنیں گے، وہاں اچھے طریقے سے صاف صفائی کا انتظام ہو سکتا ہے۔

چیرمین صاحب، کہنے کو بہت آسان ہے کہ آنگنواڑی ورکرس گاؤں گاؤں میں رہتی ہیں، لیکن انکا کام جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام ہے۔ جیسے عزت مآب وزیرِ اعظم صاحب نے کہا کہ آپدا میں اوسر تلاش کرنا ، جب کورونا میں آپدا آئی، تب اس ملک کے عوام، اس ملک کی سیاسی جماعت، اس ملک کی بیوروکریٹِک کلاس کو اندازہ ہوا کہ جو گاؤں دیہات میں صحت سے متعلق انتظامات ہیں، وہ کتنی چرمرائی ہوئی ہے۔ گاؤں دیہات میں جو آنگنواڑی ورکرس ہیں، ان کو ہم آشا ورکرس کے نام سے جانتے ہیں۔

آنگنواڑی ورکرس، آشا ورکرس اور ڈاکٹرس نے ملک میں کورونا سے لڑنے کے لئے فرنٹ لائن ورکرس کے ساتھ کام کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنگنواڑی سینٹرس ہیں، یہ ملک کی عام جنتا کے لئے، دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لئے ایک طریقے سے اسپتال، اسکول اور ان کے پالن پوشن کے لئے گائڈ ہیں۔ ہمارے آنگنواڑی ورکرس اور ان کے ہیلپرس ان لوگوں کے لئے سیکنڈ مدرس، پیرینٹس کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے کئی معزّز ممبران نے جو یہاں بولا ہے، میں اسے دوہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ابھی پریم چندرن جی کہہ رہے تھے کہ کیرل میں آنگنواڑی ورکرس کو 12000 روپئے محنتانہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سُجھاؤ بھی رکھا۔ ملک میں آج اتنی بے روزگاری ہے، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اب بھارت سرکار ایک گائڈ لائن طے کر دے کہ آنگنواڑی ورکرس کا اپوئنٹمینٹ کے لئے ایک مِنیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہئیے۔

میں امروہہ لوک سبھا حلقہ سے آتا ہوں ۔ ہم اُتر پردیش سے آتے ہیں۔ مانننئے منتری جی بھی اتر پردیش سے لوک سبھا میں الیکٹ ہوئی ہیں (مداخلت) وہ امیٹھی سے ہیں (مداخلت) امیٹھی بھی اتر پردیش میں ہی ہے۔ منتری جی نے کہا کہ کنسٹیٹوینسی بتاؤ، اس لئے میں نے نام ریپیٹ کیا۔ (مداخلت)۔ ابھی پریم چندرن جی نے کہا کہ کیرل میں 12000 روپئے ملتے ہیں، لیکن اتر پردیش کے آنگنواڑی ورکرس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری وومین اینڈ چائلڈ ڈیولپمینٹ منسٹر، یو۔پی۔ سے آتی ہیں ۔ اتر پردیش میں بھی انہیں کی پارٹی کی سرکار ہے۔ آنگنواڑی ورکرس کا جو محنتانہ ہے، مرکزی سرکار 4500 روپئے دیتی ہے۔ اتر پردیش کے اندر آنگنواڑی ورکرس کی حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ اتر پردیش جیسی ریاست میں 4000 اور کیرل جیسی ریاست میں 12000 روپئے ملتے ہیں، یہ تو نا انصافی ہے۔ میں اتر پردیش کی آنگنواڑی ورکرس کے لئے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ ان کے محنتانے کو بڑھایا جائے اور مرکزی سرکار کے جو فورتھ گریڈ کے ملازمین ہیں، ان کے جیسی ساری سہولیات انہیں بھی فراہم کی جانی چاہئیے۔

میڈم، میں انہیں الفاظ کے ساتھ ، اور اسی امید کے ساتھ کہ مانننئے منتری جی جب اپنا جواب دیں گی تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی۔]

श्री अधीर रंजन चौधरी (**बहरामपुर**): मैडम, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, अचानक मुझे लगा कि यहां इसके बारे में दो-चार बातें कहना हमारे लिए भी जरूरी है । वह इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो चाहे हम कोई जुलूस निकालें या किसी दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए हम जाते हैं तो गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, वे सारे वर्कर्स आकर हमसे गुज़ारिश करती हैं और वे एक ही मांग करती हैं कि आप लोग एम.पी. बन चुके हैं, आप दिल्ली जाकर सरकार से कह कर हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराइए क्योंकि हमारी जिन्दगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है । हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी हमें हमारी जिन्दगी गुज़ारने के लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, ऐसा वे बार-बार गुहार लगाती हैं । जब मैंने देखा कि हमारे भाई रितेश पाण्डेय जी आज एक बड़ा अच्छा रिजॉल्यूशन लायक हैं तो मैंने सोचा कि आज उनकी बात आपके सामने रखूं । अगर यह सरकार उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगी तो हम भी आभार प्रकट करेंगे ।

रितेश पाण्डेय जी जिन पाँच मुद्दों को लेकर यह रिजॉल्यूशन लाये हैं, ये पाँच मुद्दे बिल्कुल वाज़िब हैं ।

हम आज देश के एमपी बने हैं, सरकार के बड़े-बड़े मंत्री यहां उपस्थित हैं । Future will be ruled by our children. आज के बच्चे हमारे रूलर बनेंगे । आज के बच्चे अगर रूलर बनने के लायक हों, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी । यह मेहनत करने के लिए हम सबको इकट्ठा प्रयास करना जरूरी है । इसके मद्देनजर वर्ष 1975 में इस देश में आईसीडीएस की धारणा लागू करने की कोशिश की गई । यह तब से चलता आ रहा है, कभी प्लानिंग कमीशन, कभी नीति आयोग, कभी कस्तूरीरंगन कमेटी । उन्होंने बहुत सारी अनुशंसायें भी की हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अपनाई गई हैं । हम धीरे-धीरे प्रगति जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है ।

महोदया, आंगनवाडी और आशाकर्मियों को 12 हजार रुपये एलाउंस मिलता है । हम लोग एलाउंस के बदले सैलरी की मांग करते हैं । यह बहुत ज्यादा मात्रा में है । बंगाल में तो यह सिर्फ 6 से साढ़े 7 हजार रुपये है । मैं तो यह सुनकर हैरान होता हूं कि केरल में फिर भी 12 हजार रुपये देते हैं, जबकि बंगाल में 6 हजार रुपये या साढ़े 7 हजार रुपये ही देते हैं । कैसे काम चलेगा? आज बाजार में सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं । हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारे घर की छोटी-छोटी बहने हैं, उनकी जिंदगी में मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सूबे की सरकार का हिस्सा होती हैं, केंद्र की सरकार का हिस्सा होती हैं । सूबे की सरकार कभी देती है, कभी नहीं देती है, केंद्र की सरकार कभी

भेजती है, कभी नहीं भेजती है । सारी की सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एक अनिश्चित जिंदगी गुजारती हैं । हमारे फ्यूचर जेनरशन के लिए हम मेहनत करते हैं । दानिश भाई ने कहा कि कोविड संक्रमण के समय ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हुए, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने जिस कद्र सेवा की है, हिंदुस्तान के सब लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की है, हम सबको तहे दिल से उनकी कद्र करनी चाहिए, तहे दिल से सबके के लिए आभार प्रकट करना चाहिए । इन लोगों को बहुत सारी सुविधाओं से हम क्यों वंचित कर रहे हैं?

हमारे देश में 40 लाख करोड़ रुपये का बजट बनता है । रिवाइज्ड बजट 42 लाख करोड़ रुपये का हो जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी नींव होती हैं, गांव-गांव में जो हमारे भविष्य प्रजन्म को बचाने के लिए, बच्चे और मां को बचाने के लिए जी-जान से मेहनत करते हैं, उनके लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं? जो मांग की गई है, उसे सरकार मान ले ।

मैं दो-तीन सलाह देना चाहता हूं । कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, it has been stated that it is nearly impossible to fix the curve of education as an individual advances in age unless the imparting of education is done methodically from the toddler level. बचपन से, जब टोडलर होते हैं, उसमें से साइंटिफिकली हमें इन लोगों को पढ़ाना-लिखाना चाहिए । The need of the hour is for a method that blends an efficient supplementary nutrition programme with pedagogical process that makes learning exciting. एक तो न्युट्रिशन का मसला है, दूसरी तरफ लर्निंग का मसला है । लर्निंग और एजुकेशन को हमें इस ढंग से चलाना चाहिए, जिससे कि हमारे भविष्य प्रजन्म, हमारे बच्चे जिंदगी में कुछ करने के लिए जब उभरकर आएंगे, तब उनकी अपनी ताकत हो, उनका अपना दिमाग हो और देश की तरक्की के लिए उनकी सहयोगिता हमें बराबर मिलती रहे ।

ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जनरल सर्विस देती हैं । गुड क्वालिटी मील चाहिए, ये मील देती हैं, काँट्रासेप्शन देती हैं, फ्रीक्वेंट हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करती हैं । फिर भी, इन लोगों के बीच में स्किल की कमी है ।

अब तक इन लोगों को अन-स्किल्ड वर्कर्स माना जाता है । मैं चाहता हूं कि इनको स्किल्ड वर्कर्स बनाने के लिए भी सरकार कुछ कदम उठाए, यहां बड़े-बड़े ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं । आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए ।

मैं इन सारे मुद्दों को आपके सामने रखते हुए तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं । इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं और यह गुजारिश भी करता हूं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को आर्थिक सुविधा मुहैया करायी जाए । आर्थिक तंगी के साथ ज्यादा सेवा चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है । मैं इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

*m12 **महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**: सभापति महोदया, मेरे संसदीय अनुभव और प्रशासनिक अनुभव में मैं पहली बार स्वयं साक्षी रही हूं कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पर मार्च, 2020 में चर्चा शुरू हुई । पांच सेशन के माध्यम से लगभग 20 सांसद 6 अलग-अलग तरीकों से इस विशिष्ट चर्चा में सहभागी रहे । सर्वप्रथम, मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारे देश भर की आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया और उन्हें सदन में महिमामंडित किया ।

कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया था । जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं हैं, लेकिन दो वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने आंगनवाड़ी बहन के समर्थन में सदन में प्रस्तावना की है तो वह सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है । उनकी अनुपस्थिति में ही सही मैं पुनः सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अभिनंदन करती हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं ।

महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने थोड़ी सी चुटकी ली, भाइयों का विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूं, मैं भाई कह रही हूं और आशा करती हूं कि वह स्वीकार होगा । इस सदन में कई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रेजरी बेंच से नहीं हैं, जिनके पास सौभाग्य रहा कि एक दशक तक उन्होंने सत्ता के गलियारों में ऐसे विषयों पर अपना मार्गदर्शन दिया अथवा प्रशासनिक ढांचे में नेतृत्व दिया अथवा तब की सरकार में अपना योगदान दिया । आज विपक्ष में उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई । यह सत्य है कि वर्ष 1970 के दशक में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रोच भारत में स्थापित की गई ।

16.39 hrs. (Hon. Speaker *in the Chair*.)

जब वर्ष 1975 में इसकी शुरूआत हुई, इतने विशाल देश में, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इसकी शुरूआत हुई । 33 प्रोजेक्ट्स से आज 13 लाख आंगनवाड़ियों में हमारी बहनें देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हैं, उनके बारे में रितेश पाण्डेय जी ने भी प्रस्ताव रखा । मैं रितेश पाण्डेय जी की अनुपस्थिति में आपकी अनुमति से दो-तीन तथ्य सदन में रखना चाहूंगी । जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप ऑनरेरियम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? इसे ऑनरेरियम की दृष्टि से न देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से देखें ।

जब उनकी सरकार थी, वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब उनकी सरकार ने स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्पलाई की दृष्टि से न देखा जाए । तब सरकार की इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया । सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया बल्कि particularly on this issue, the hon. Supreme Court of India settled on the subject of whether honorarium should be given or they should be treated as employees. After all the evidence -- which was presented before the hon.

Supreme Court of India -- this issue was settled in the year 2006. However, तब सरकार चाहती और सरकार में जो सहभागी थे, वे चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे । अगर मैं वर्ष 2008 का उल्लेख करूं तो ऑनरेरियम 1400 रुपये था । तब मिनी आंगनवाड़ी में जो व्यवस्था थी, उसमें 750 रुपये दिए जाते थे । आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वे प्रसन्नचित्त हुए होंगे जब नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 1400 रुपये से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 रुपये कर दिया । आज जो हिदायत दे रहे हैं, वे निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे, जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने 750 रुपये से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपये की व्यवस्था की ।

आज जिन्होंने विशेष हिदायत दी, अब जेन्टलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा । … (व्यवधान) मेरी अपेक्षा भी नहीं है, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज़ हूं? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप लोगों ने किया है । … (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: मैं आपके सम्मुख कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं, जो उनकी हकीकत को बयां करते हैं । … (व्यवधान) In 2011-12, when the Congress-led UPA Government was in power, for the anganwadi system, they pronounced a Budget Estimates of Rs. 10,000 crore. Sir, if I look at the budget which was spent in 2021-22, if I go back just to one year, the spend by the Modi Sarkar in one Financial Year was Rs. 18,208 crore. जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी, तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी । … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, पीएमबी में सब अपने मन की बात कहते हैं । आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में कभी यह नहीं कहा गया कि इस सरकार ने नहीं किया या उस सरकार ने नहीं किया । माहौल को बरकरार रखना चाहिए । हर चीज पर पोलिटिक्स ले आते हैं, यह ठीक नहीं है । … (व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I am not yielding. … (*Interruptions*) I am not yielding … (*Interruptions*) I would like to proceed with my comments. I have been patiently listening to the discussions on this Private Member's Bill since March, 2020. As a Minister, I am sure, after waiting for close to two years, I will be allowed to complete my presentation to this honourable House without intervention. … (*Interruptions*) I am facing an opportunity to place facts before this honourable House, and since I am accused of why I am politicising, I would like to highlight again that it is my constitutional duty to place facts on the floor of the House. Hence, one is an issue that was brought forth the hon. Supreme Court of India in 2006, and was settled; second, like I said, how much we appreciate the services of anganwadi workers and enhanced the honorarium from Rs. 750 to Rs. 3500.

And third Sir is the fact that in 2011-12, the Budget Estimates of the then Government were a mere Rs. 10,000 crore but of the Modi Government, the Budget spent in 2021-22 was Rs. 18,208 crores and it shows our commitment to this very need of women and children in our country.

महोदय, रितेश जी ने अपनी प्रस्तावना में कई विषय आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में रखे हैं । यहां पर प्रेमचन्द्रन जी भी उपस्थित हैं । उन्होंने पेंशन, इंश्योरेंस, इन सभी विषयों पर हम सबका विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है । मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि पहली बात यह है कि जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं और आशावर्कर्स हैं, वे दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं । सरकरी खेमे में जितना भी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसका काम specifically is done by the ASHA worker and not by the Anganwadi worker. However, Sir, कोविड का उल्लेख हुआ । गोपाल जी, अभी इस सदन में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है and we paid special homage, and gratitude was expressed to Anganwadi workers who were at the frontline of helping the nation during COVID-19. The Prime Minister pronounced in association with the Ministry of Health that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Insurance Package for those Anganwadi workers who are designated by District and State Authorities to work in COVID times will also cover such workers up to Rs. 50 lakh.

Sir, to this day, I can confirm to this House that for Anganwadi workers under this very package, 1905 claims have been settled by the Government of India in collaboration with the State Governments.

Sir, this House is aware that Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana were pronounced by this very Government. It was the endeavour of the Ministry that Anganwadi workers and helpers get the support even under these national initiatives.

Sir, I am happy to report to this House that a premium of Rs. 330 per worker under the Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana, was paid by the Government of India covering all Anganwadi workers under these two schemes.

Also, Sir, these benefits were made available up to May, 2020 and post-May, 2020, a special procedure was pronounced in collaboration with States to cover all Anganwadi workers and a premium provision was also made especially for this initiative of Rs. 64 crore on behalf of the Government of India.

Sir, this is the partnership that we are currently engaged with regards to State Governments. It is because as every learned Member of this House knows that it is the State Governments that help us implement all that is pronounced under the Programme by the Government of India.

महोदय, यहां पर विशेष रूप से कई आदरणीय सांसदों ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि जो हमारी आंगनवाड़ी बहने हैं, उनके ऊपर एडिशनल काम करने का विशेष भार आता है । जिन माननीय सांसदों ने इस विषय को उठाया है, मैं आपकी अनुमति से विशेष रूप से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि भारत सरकार ने हमारे मंत्रालय की ओर से 5 नवंबर, 2019 को प्रदेश सरकारों के सभी चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखकर ताकीद किया है । हम बार-बार इसका उल्लेख करते हैं कि कृपया आंगनवड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त काम न दें । They are honorary workers who work for honorariums and are not employees and hence, cannot be given added work. This is a communication which I hold in my hand which is close to three years old. We do repeat it in our engagement, from the Ministry of Women and Child Development, with all Chief Secretaries of all States. We were not sure whether this written communication would suffice. We do repeat it in our verbal engagement, video conferences and one on one meetings with all State Governments and all State representatives including their many Anganwadi federations that have asked us for this very communication; and in support of the Anganwadi workers desire to have this communication simplified, we have done so Sir and forwarded that information to them as well.

सर, आज मैं विशेष रूप से इस चिट्ठी का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ कि आपने कई बार इस सदन में विशेष रूप से पोषण के संदर्भ में सांसदों का ध्यान आकृष्ट किया है । आपने सांसदों को बार-बार प्रोत्साहित किया कि विशेष रूप से 'दिशा' की मीटिंग में और महापोषण पखवाड़ा में विशेष रूप से हर सांसद सम्मिलित हो और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको सदन में अथवा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें । आपके आदेशानुसार हर सांसद ने जहां-जहां से हमारे पास शिकायत लाकर के दी अथवा हमें किसी ने भी सुझाव दिया तो हमने तत्परता से उस पर काम किया ।

सर, मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगी, चूँकि यहां पर रितेश जी नहीं है । उन्होंने प्रस्ताव करते समय कहा था कि उनके अपने जनपद के आंगनवाड़ी सिस्टम में पानी की सुविधा नहीं है । सर, आज मैं आपके माध्यम से उनकी अनुपस्थिति में ही सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि उनके जनपद के आंगनवाड़ी में वाटर की फैसिलिटी सुनिश्चित हो चुकी है और इसकी टेक्नोलॉजिकली कन्फर्मेशन जनपद में काम करने वाली आंगनवाड़ी बहन ने स्वयं पोषण ट्रैकर पर दी है । रितेश जी ने तब अपने प्रस्ताव में इसका भी उल्लेख किया कि आंगनवाड़ी बहन के ऊपर विशेष भार आता है कि वे

पल्स पोलियो की ड्रॉप दे रही है, लेकिन वह काम असल में आशा बहन करती है, आंगनवाड़ी बहन नहीं करती है । उन्होंने किसी प्रदेश में थैच रूफ, एस्बेस्टस शीट्स का भी उल्लेख किया था । हमने उस प्रदेश से सम्पर्क किया था । मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकली चेक किया गया, वहां पर भी ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाई गई ।

सर, यहां पर दानिश भाई ने वॉटर फैसिलिटी और टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में विशेष उल्लेख किया है । मैं आपके माध्यम से उन्हें और सदन को अवगत करना चाहती हूँ कि यह सत्य है कि उनके लिए 12 हजार रुपये दिए जाते थे । स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं इसलिए उसे 36 हजार रुपये किया गया । यह इस बात का संकेत है, that the Modi Government is empathetic and quickly responsive to the needs of the State Governments and the anganwadi system.

सर, चूँकि यह बात उठी है तो दूर नहीं जाएगी, लेकिन मैं इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही 1970 के दशक में यह व्यवस्था 33 प्रोजेक्ट्स से शुरू हुई थी और आज यह व्यवस्था 13 लाख आंगनवाड़ी तक पहुंची है । पानी और सेनिटेशन की बजट लाइन पर सभी माननीय सांसद इस बात से अवगत हैं कि मंत्रालय तभी स्पेंड करेगा, जब फाइनेंस के साथ समन्वयपूर्वक बजट की व्यवस्था की जाएगी । पहली बार आंगनवाड़ी सिस्टम में बजट लाइन मोदी सरकार वर्ष 2017 में लेकर आई थी । 70 के दशक में न तो इसकी कल्पना थी और न ही यूपीए के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान था ।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ । God is in details. This is the detail to which the administration applied itself. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जब प्रधान मंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया था, उस समय कई लोगों ने उपहास भी किया था । वे बोले कि इतने विशाल देश में, जहां इतनी विशाल हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, वह इस व्यवस्था को कैसे अपनाएगी? मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का एक जो नया संग्राम शुरू हुआ, उसके अंतर्गत प्रधान मंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों न डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनवाड़ियों तक पहुंचाया जाए ।

सर, मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि राष्ट्र में पहली बार आंगनवाड़ी को स्मार्ट फोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वह मोदी सरकार है । वर्तमान में आंगनवाड़ियों में 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेज़ उपलब्ध हैं । जब हमने पोषण ट्रैकर की शुरूआत की थी तो उसकी कोविड के दरम्यान शुरूआत की थी । मैं रितेश पाण्डेय जी की अनुपस्थिति में फिर से बोल रही हूँ कि उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर्स लेकर घूमना पड़ता है ।

सर, उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्ट फोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ, उसके पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने यह व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा, जो आंगनवाड़ी में सेवा लेते हैं, उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स – चाहे उनका पता हो, उनकी हाइट और वेट मेजरमेंट

आदि को टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं, ताकि आंगनवाड़ी बहन को वे बड़े-बड़े थैले और रजिस्टर लेकर दर-दर घूमना न पड़े ।

सर, मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो 10 करोड़ बेनिफिशरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी एक अनोखी बात आई है । पहली बार हमारे देश में, इस 10 करोड़ में से 90 प्रतिशत, जो महिलाएं और बच्चे हैं, they are now Aadhaar-seeded. The data is completely verified all the way down to the grassroots. जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं – 'वन नेशन, वन राशन कार्ड', we ensure that there is portability of the rights of our beneficiaries - be it the mother or the child. अब अगर कोई महिला या परिवार मान लीजिए झारखण्ड में आंगनवाड़ी की सेवा लेते हैं और वे अगर झारखण्ड छोड़कर दिल्ली आते हैं तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी । उनके बारे में भारत सरकार और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि यह महिला अथवा यह बच्चा उस प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो ।

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो प्रस्तावना की गई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मंशा शायद यह है कि हम जिस उद्देश्य के साथ आंगनवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कैसे सहायता मिले, सहयोग मिले, उसकी दृष्टि से मैं कहना चाहूंगी कि आज जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की दरकार थी, वह थी कि हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में रिजल्ट मेजर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी । मैं पुन: प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि पहली बार ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए, उनको भारत सरकार ने पोषण अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराया है और आज लगभग 12 लाख 60 हजार ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देश भर में आंगनवाड़ी में उपलब्ध हैं । 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में आज हम पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली मैप करते हैं । अश्वनी जी यहां उपस्थित हैं, हमने उनसे यह भी कहा कि आप पूरे देश को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी भी इससे अछूता नहीं होना चाहिए । अब यह व्यवस्था भी आंगनवाड़ी तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है ।

सर, सबसे बड़ा विषय, जो मैं आज आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहती हूं, पहले आंगनवाड़ी सिस्टम एक आइसोलेशन में चलता था, एक मंत्रालय के सौजन्य से चलता था । प्रधानमंत्री जी ने जब उल्लेख किया – 'सबका साथ और सबका विकास', तो वह उल्लेख सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं था, प्रशासनिक समन्वय में भी उसे पोषण ने चरितार्थ कर दिखाया और 18 मंत्रालयों ने एक साथ देश में आंगनवाड़ी सर्विसेज को हम कैसे और मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें, उसके सन्दर्भ में अपना काम शुरू किया ।

सर, आपने इसी सदन में विशेष रूप से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बल्कि सप्लीमेंटरी न्युट्रिशन में भी कोई त्रुटि न हो, इसकी भी चिन्ता व्यक्त की । आपके शुभाशीष से, आपके आशीर्वाद से देश के सभी

सांसदों तक हमने रीजनवाइज डाइट डायवर्सिटी की सूचना भी पहुंचाई । हमने 13 जनवरी, 2021 की स्ट्रीमलाइन्ड गाइडलाइंस भी दीं ।

इसमें प्रेमचन्द्रन जी ने रिक्रूटमेंट का विशेष उल्लेख किया है । रिक्रूटमेंट के सन्दर्भ में भी स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि पोलिटिकल इंटरफेरेंस न हो, इसकी भी चिन्ता की जाए । आज ही, शायद यह किस्मत को मंजूर था कि सुबह जब मैं पेपर ले कर रही थी, इसका गज़ेट मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई ।

सर, आज रितेश जी इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मार्च, 2020 से वार्ता का यह क्रम शुरू हुआ । मैंने बार-बार इस सदन में कहा है कि हम पक्षपात और विशेषत: राजनीतिक पक्षपात के न आदी हैं, न इच्छुक हैं । मैं विशेष रूप से इस सदन और आपका आभार मानना चाहूंगी कि महिला और बाल विकास से संबंधित जब भी कोई प्रस्ताव आता है, चाहे वह लेजिस्लेटिव हो अथवा चर्चा की दृष्टि से हो, पूरे सदन ने अपनी राजनीति छोड़कर, समन्वय के साथ उसका समर्थन किया है ।

17.00hrs

मैं आशावादी हूं कि आगे भी यही क्रम चलता रहेगा । रितेश जी ने जो भी विषय और चिंताएं अपने उद्बोधन में प्रस्तुत कीं, मैंने उनका जवाब दे दिया है । मैं एक और बात उसमें जोड़ना चाहती हूं । जहां टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की विशेष चिंता की गई है, अगर वहां पर रेंट देना होता है और सरकार किसी प्रदेश में रेंट देने की अवस्था में है और पक्की बिल्डिंग बनाने की स्थिति में है तो वहां कंटीनुअस कंस्ट्रक्शन का काम चलता है । हमने मनरेगा के साथ समन्वय किया है । हमने इस तीन साल की अवधि में 50 हजार से ज्यादा नए आंगनवाड़ी बनाए और जो रेंटेड प्रेमाइसिस में थे, हमने उनको शिफ्ट कराया । लगभग 55 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं । ... (व्यवधान) दानिश भाई ने तीन लाख का विषय उठाया कि अभी भी तीन लाख परमानेंट नहीं हैं तो एक लाख से ज्यादा आंगनवाड़ीज़ को परमानेंट स्ट्रक्चर में शिफ्ट करने का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया गया है ।

सर, इसके साथ ही जब रेंट की बात आती है तो विशेषत: ग्रामीण अंचल में इसी सरकार ने रेंट को डबल करके दिया है । हम प्रदेश सरकारों पर निर्भर करते हैं । प्रदेश सरकारों को हमने व्यवस्था दी है, ढांचा दिया है और पैसा दिया है । वे उसको तीव्र गति से आंगनवाड़ी सर्विसेज़ को और सशक्त करने के लिए लगाती हैं । निश्चित रूप से दानिश भाई ने मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और अमेठी का उल्लेख किया । मैं आभारी हूं कि अमरोहा वाले अमेठी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हां, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि 750 रुपये से 3500 रुपये का मोदी सरकार ने जो फासला तय किया है, वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहनों को भाया है, इसलिए उन्होंने दो बार कमल खिलाया है । ... (व्यवधान) हमारे सीनियर मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि मैं फॉल्स एश्योरेंसेज़ नहीं देती हूं । मैंने हाउस के

सामने फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए हैं । सर, रितेश जी की अनुपस्थिति में मैं सदन से यही आग्रह करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें कि आगे मेरा मार्ग कैसे प्रशस्त हो । धन्यवाद । ... (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : ओनेरेरियम को इंस्टैंट एनहांस करने के लिए कुछ एश्योरेंस दे दीजिए । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें क्लेरिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, प्राइवेट मैंबर रेजोल्यूशन है ।

माननीय अध्यक्ष : प्राइवेट मैंबर रेजोल्यूशन है, आपने अपनी बात कह दी है ।

... (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, इसमें कुछ बात ही नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत करवा दिया ।

श्री निहाल चन्द चौहान : अध्यक्ष जी, मुझे एक बात निवेदन करनी है ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको अलाऊ थोड़े ही किया है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चूंकि रितेश पाण्डेय, जिन्होंने इस संकल्प को पेश किया है, सभा में उपस्थित नहीं हैं । इसलिए उनके द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाडी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए-

(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;

(4) आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित संवातन सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और

(5) देश में किराए के आवासों में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना ।" ।

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।</u>